



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक- 18.01.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 449/2025 धारा 305 बीएनएस व मु०अ०स० 462/2025 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से ट्यूबवैलों से चोरी किये हुए 03 कट आउट टूटे हुए, 01 प्लास, 01 पाना व करीब 20 किलोग्राम केबिल कटा हुआ बरामदा

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक:- 17.12.2025 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री संजय धामा पुत्र श्री केहर सिंह निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा, बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी व सतीश पुत्र आनन्द व संदीप पुत्र दयाचन्द व कृष्णपाल पुत्र विरेन्द्र व छोटू पुत्र यशपाल व अनुज पुत्र वीरसेन निवासीगण कस्बा व थाना खेकड़ा जिला बागपत की ट्यूबवलो से स्टार्टर, केबिल, कटआउट



ओटोमेटिक आदि सामान चोरी कर लिये हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु०अ०सं० 449/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक:- 26.12.25 को थाना खेकड़ा पर वादी सुरेन्द्र सिंह पुत्र अतर सिंह निवासी पट्टी गिरधरपुर पाण्डो की पुलिया कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि वादी की ट्यूबवैल से स्टार्टर, समर्सिबल का केबल, 3 फावड़े, तीन पलकटी, दो खुर्चे, चार दांती व अन्य लोने का समान व वादी के पड़ोसी विजयपाल पुत्र भंवर सिंह, अर्जुन पुत्र इन्द्रपाल तथा डा० सुरेन्द्र पुत्र विक्रम सिंह निवासीगण कस्बा खेकड़ा की ट्यूबवैलों से स्टार्टर, समर्सिबल का केबिल व अन्य सामान चोरी कर लिया हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु०अ०सं० 462/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

कायवाही-

बागपत पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम, चोरी, लूटे गये माल की बरामदगी एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 449/25 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 462/25 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी किये गये 03 कट आउट टूटे हुए, 01 प्लास, 01 पाना, व करीब 20 किलोग्राम केबिल कटा हुआ अलग-अलग 03 कटटों में बरामद हुए हैं।

नोट- उपरोक्त अभियोगों में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अरसालान उर्फ हरसलान पुत्र इम्तियाज निवासी लाईनपार प्रेमपुरी कस्बा व थाना खेकड़ा जिला बागपत उम्र करीब 24 वर्ष।
2. जावेद पुत्र बल्लू निवासी वार्ड न 07 शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जिला बागपत उम्र करीब 21 वर्ष।
3. आकिल उर्फ ढोलू पुत्र हाजी हसन निवासी वार्ड न0 17 शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जिला बागपत उम्र करीब 21 वर्ष।
4. धर्मेन्द्र उर्फ रोहित पुत्र हरपाल निवासी वार्ड न0 17 मौ0 शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 03 कट आउट टूटे हुए
- 01 प्लास धातु लोहा
- 01 पाना धातु लोहा
- करीब 20 किलोग्राम केबिल कटा हुआ

अभियुक्त अरसालान उर्फ हरसलान का अपराधिक इतिहास

- 1-मु0अ0सं0 156/24 धारा 324/352/504/506 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 449/25 धारा 350/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 462/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

अभियुक्त जावेद का अपराधिक इतिहास

- 1-मु0अ0सं0 449/25 धारा 350/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 462/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

अभियुक्त आकिल उर्फ ढोलू का अपराधिक इतिहास

- 1-मु0अ0सं0 449/25 धारा 350/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 462/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ रोहित का अपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 449/25 धारा 350/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 462/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2- उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

3- है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

4- है0का0 785 सुनील कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

5- का0 247 निशान्त शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

6.का0 283 अमी कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

7.का0 893 राहुल शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 18.01.2026

**थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 10/26 धारा
115(2)/352/351(3)/110 बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.01.2026 को वादी श्री सहन्सरपाल पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त जयकुमार पुत्र मलूक निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत उम्र 40 वर्ष द्वारा वादी के भाई धर्मपाल के साथ गाली-गलौच करना व वादी के भाई के सिर में ईंट मार देना जिससे वादी के भाई का मौके पर ही बेहोश हो जाना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 10/26 धारा 115(2)/352/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

बागपत द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 10/26 धारा 115(2)/352/351(3)/110 बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जयकुमार पुत्र मलूक निवासा ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ०नि० श्री कृपेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-है०का० 819 दोसेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।

